न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

तारीख हुक्म	मुकदमा नं. 2/91 दावा प्रा॰पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज उनवान :- गणेशा V/s सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	26.12.17	

आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप॰। वकील
वादीगण ने एक वाद प्रा॰ पत्र अन्तर्गत धारा 212
(212) RTAct का इस आशय का पेश किया कि वादी
सं. 1 की अलोट शुदा खातेदारी की आराजी गत
खसरा नम्बर 72 मि॰ 2 बीघा ग्राम सारंगपुरा तहसील
मालाखेडा जिला अलवर, व इसी प्रकार वादी संख्या
02 की उपरोक्त आराजी गत ख॰ न॰ 72 मिन रकबा
2 बीघा अलोट शुदा है। जो वादीगण को दिनांक
16-09-1975 को आवंटन की गई थी। इसी प्रकार
अलोटमेन्ट के बाद कब्जा अलग अलग दे दिया था
उपरोक्त श्रीमती विधादेवी ने अपनी अलोटशुदा व
खातेदारी की उपरोक्त 2 बीघा आराजी को जरिए
दस्तावेज बयनामा दिनांक 12.7.90 को मिन वादी
सं. 2 के हक मे बेचान कर दिया जिसका कब्जा भी
मौके पर मिन वादी सं 2 को दे दिया। इस प्रकार
आराजी गत ख॰ न 72 मे से मिन वादी सं 1 का
2 बीघा व मिन वादी सं 2 का 4 बीघा हिस्सा है मौके
पर वादीगण ने अपनी उपरोक्त कुल आराजी को मिला
रखा है। और अपने अपने हिस्से के अनुसार काश्त
करते चले आ रहे हो हाल बन्दोबस्त सम्वत
2051 मे उपरोक्त आराजी का हाल खसरा
नम्बर 341 रकबा 1-71 हैक्टर कायम किया गया है।
मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051 मे अन्य लोगो के
साथ साथ वादीगण व उक्त श्रीमती विधादेवी का
कब्जा बतौर खातेदार के दर्ज किया गया है।
इसी प्रकार आराजी हाल खसरा नम्बर 341 रकबा 1-71
हैक्टर वादीगण की अलोटशुदा व खरीदशुदा खातेदारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की आराजी है जिस पर हमारा कब्जा बतौर खातेदार के चला आ रहा है। विवादित आराजी को राजस्व अधिकारियों ने गलत तौर पर कतई गलत व खिलाफ कानून खिलाफ मौका विवादित आराजी को कागजात में सिवायचक लगानी गलत तौर पर दर्ज कर दिया है जबकि राजस्व अधिकारियों को विवादित आराजी को सिवायचक लगानी दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। वक्त आवंटन वादीगण व उक्त श्रीमती विधावती को जिस स्थान पर कब्जा दिया गया था तभी से उसी स्थान पर हमारा कब्जा लगातार चला आ रहा है और जिसका तितम्बा भी कब्जे के अनुसार काटा गया है, और वादीगण बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे है। वादीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 1-71 है. वाके ग्राम सारंगपुरा के काबिज एव खातेदार है। जमाबन्दी में जो इन्द्राज बतौर सिवायचक लगानी किया गया है उसे दुरस्त फरमाया जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जावे। चूंकि वाद के निपटारा मे समय लगने की संभावना है और इसी दौरान यदि प्रतिवादी संख्या 3 ने ऐसा कर दिया तो वादीगण को नाकाबिले होनेवाले नुकसान होगा तथा स्थिति मौका तब्दील हो जावेगी व वादीगण तबाह व बरबाद हो जावेगे वाद का महत्व समाप्त हो जावेगा। प्रतिवादी नं 3 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वादीगण का वाद प्रा॰ पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं॰ 3 ने उपस्थित होकर जरिए वकील जवाब पेश किया प्रतिवादी सं॰ 3 का कब्जा अपने हिस्से की जमीन पर बदस्तूर जारी है। वादीगण का प्रतिवादी सं॰ 3 के हिस्से पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही है।	

सहायक कलक्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हाल जमाबन्दी में सिवायचक दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 3 का इन्तकाल बतौर गैरखातेदार दर्ज किया जा चुका है। प्रतिवादी सं. 3 को दिनांक 16-9-1975 में अलोटमेन्ट की गई थी और घरना बही के मुताबिक कब्जा दे दिया था, तितम्मा कास्कर मौके पर जमीन सम्भलादी गई। उसी दिन से मौके पर ~~जमीन सम्भला~~ ~~वे~~ काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण प्रतिवादी सं. 3 मौके पर आकर जबरन कब्जा बेदखल करना व लड़ाई झगड़ा करना कहा है वह गलत है। वादीगण का वाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने विद्वान अभिभाषकगणों की महत्वपूर्ण जिरह को सुना, वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र मय शपथ पत्र तथा जवाब प्रा. पत्र मय शपथ पत्र एवंम राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का आद्योपान्त अवलोकन किया वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को पाबंद कराने की रिलीफ चाही गई। प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 को खसरा नम्बर 62 मी रकबा 4) बीघा का आवण्टन दिनांक 16-9-75 जिसका दखल (घरना बही) दिनांक 18.10.75 को दिया गया जिसकी प्रति भी एवंम नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 28/2002 जिसमे प्रतिवादी सं. 3 का नाम खसरा नम्बर 341/1 रकबा 1-01 है. का गैर खातेदार दर्ज किया गया जिसकी प्रतियाँ प्रस्तुत की है। वादीगण द्वारा जिस भूमि पर दावा प्रतिवादी को पाबंद कराने का पेश किया है। वह वर्तमान मे सिवायचक दर्ज है। जिस पर वादीगण राजकीय भूमि पर किसी अन्य ~~व्यक्ति~~ व्यक्ति को पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होवे	